पत्रांक–9A/विविध मार्गदर्शन 07–10/2025–462 (9A)/रा0,

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

सी0 के0 अनिल,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

ई–मेल

सभी समाहर्त्ता,
बिहार।

पटना–15, दिनांक–25/02/2026

विषय :– विभागीय पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जा रही ऑनलाइन सेवाओं के अन्तर्गत RCMS/बिहारभूमि पोर्टल पर दायर मामलों/वादों का निर्धारित समय–सीमा के निर्धारण के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राजस्व न्यायालयों में दायर वादों की सुनवाई एवं आदेश पारित करने के क्रम में नैसर्गिक न्याय एवं प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत अति–महत्वपूर्ण है। इस संबंध में प्रचलित कतिपय महत्वपूर्ण लैटिन सिद्धांत निम्नवत् है :–

1. (i) **AUDI ALTERAM PARTEM "No men shall be condemned unheard"-** यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि किसी भी वाद में सभी पक्षों को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर मिले। उभय पक्ष द्वारा Written Statement दायर किया जा सके।

(ii) **NEMO DEBET ESSE JUDEX IN PROPRIA SUA CAUSA "No man can be judge in his own cause"-** यह प्राकृतिक सिद्धांत है कि कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं बन सकता है। यह सिद्धांत मुख्य रूप से न्याय की पक्षपातपूर्ण (Bias) रहित व्यवस्था पर आधारित है।

2. अंचल अधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता के राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों की समीक्षा में पाया गया है कि अनावश्यक विलम्ब किया जा रहा है, जबकि इनके न्यायालयों में दायर वादों के निष्पादन हेतु विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत भी समय–सीमा निर्धारित है। आम नागरिकों को न्याय 'प्रदान' करने एवं न्याय 'दिखने' हेतु समय–सीमा का अनुपालन अति–आवश्यक है। वादों के निष्पादन हेतु समय–सीमा निम्नवत् निर्धारित की जाती है :–

क्र0	राजस्व न्यायालय	वाद का प्रकार	समय–सीमा
1	अंचल अधिकारी	(i) भूमि दाखिल–खारिज	बिना आपत्ति 35 दिन आपत्ति 75 दिन
		(ii) लोक भूमि अतिक्रमण	90 दिन
		(iii) भू–मापी वाद	7–11 दिन
2	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता	(i) दाखिल–खारिज अपीलवाद	30 दिन
		(ii) भूमि विवाद निराकरण	90 दिन
		(iii) लगान निर्धारण	90 दिन
		(iv) बकास्त रैयतीकरण	90 दिन
		(v) सम्पुष्टि हेतु दान–पत्र	90 दिन
		(vi) 48(E) बटाईदारी	90 दिन

3	अपर समाहर्त्ता	(i) जमाबंदी रद्दीकरण	30 दिन
		(ii) बन्दोबस्ती अपीलवाद	90 दिन
		(iii) लगान निर्धारण अपीलवाद	90 दिन
		(iv) भू–हदबंदी अधिनियम, 1961	90 दिन
		(v) बिहार भू–दान यज्ञ अधिनियम, 1954	90 दिन
		(vi) दाखिल–खारिज रिविजन अपीलवाद	30 दिन

अतः अनुरोध है कि अपने न्यायालय में दायर वादों के साथ–साथ उपरोक्त वर्णित अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों में दायर वादों के निष्पादन हेतु निर्धारित समय–सीमा का अनुपालन करें, ताकि सात निश्चय के अन्तर्गत Ease of living को विभाग द्वारा जमीनी स्तर पर लागू किया जा सके।

विश्वासभाजन,

(सी0 के0 अनिल)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः–9A/विविध मार्गदर्शन 07–10/2025–462(9A)/रा0 दिनांक 25/02/2026

ई–मेल

प्रतिलिपिः–सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी अपर समाहर्त्ता/सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/सभी अंचल अधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(सी0 के0 अनिल)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः–9A/विविध मार्गदर्शन 07–10/2025–462(9A)/रा0 दिनांक 25/02/2026

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(सी0 के0 अनिल)
प्रधान सचिव।